

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

श्रीमती बदाम बनाम श्रीमलाल (वैर)

किस्म मुकदमा प्र/० पत्र 111-128 धारा नं० 40 सन 2023

दिनांक	हुकम या कार्यवाही गय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इर हुकम की तामीर में जारी हुए
--------	----------------------------------	--

2-23

वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 28.3.23 को पेश हो ।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर माण्डल

28³/₂₃

पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थिया उपस्थित, विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए । जैसे शां पठ किये गये । विपक्षीगण की कितनी मर्तवा कककक का आयाजें फिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं, इनके विरुद्ध एक बरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है । वकील प्रार्थिया का पत्र पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय सुचकसै लिखा जाकर शां पठ किया गया । पत्रावली फंसल सुमार होकर ठाम्बर सै कम हो ।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा



राजस्थान - सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

सीन अधिकारी-हुकमीचन्द रोहलागिया, आर.ए.एस.

मा संख्या - 40/23 प्र/043

श्रीमती लक्ष्मी देवी श्री गंगाजी देवी निवासी- मैलियास तहसील माण्डल

-प्रार्थी

यनाम

श्रीमती लक्ष्मी देवी श्री गंगाजी देवी निवासी- मैलियास तहसील-माण्डल (कर्णाल)
(मुष्कामिन प्राप्पत्र संलग्न)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 28-03-23

::आदेश::

से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि
पटवार हल्का.....दुंगुवाला.....तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की
166.....कुल किता 0.1.....रकबा 0.8852 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि
के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता
प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

पत्र इस न्यायालय में दिनांक 22-02-23 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को
यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का
से भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए
यिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम श्रीवाकरवेडा पटवार
.....तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं.....166.....
0.1.....रकबा 0.8852 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये
की किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक.....माण्डल
रूपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान की मौजूदगी में मौके व कब्जे
यनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर
जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा

नदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की
पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा